

परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ।

पत्रांक-३३३एमटी/१९-१२०७/१९

दिनांक 12 सितम्बर, 2019

- 1-समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ०प्र० परिवहन निगम।
- 2-समस्त सेवा प्रबन्धक,
उ०प्र० परिवहन निगम।
- 3- समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (डिपो),
उ०प्र० परिवहन निगम।

विषय:- समस्त कार्यशालाओं एवं कार्यशाला कार्मिकों हेतु सुरक्षा उपकरण तथा वर्दी के सम्बन्ध में।

परिवहन निगम में कार्यशाला कार्मिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य तथा बसों के बेहतर रख-रखाव सुनिश्चित करने के दृष्टिगत निम्नवत् निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं।

1. कार्यशालाओं के सभी नियमित कार्मिकों को नियमानुसार देय 02 जोड़ी नैवी ब्लू डंगरी, 02 जोड़ी जूते अगले एक माह में उपलब्ध कराये जायें। मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रावि०/संचा०), यह व्यवस्था एक माह के अन्दर सुनिश्चित करें।
2. कार्यशाला के जो कार्मिक भारी मशीनों पर विद्युत एवं धातु से सम्बन्धित कार्य करते हैं उनको सुरक्षा के दृष्टिगत हेलमेट, वेल्डिंग रेज प्रोटेक्टिव ग्लास, नोज फिल्टर मास्क, दस्ताने इत्यादि उपलब्ध करा दिये जायें। सेवा प्रबन्धक, यह व्यवस्था सुनिश्चित करके दिनांक-20.09.2019 तक रिपोर्ट फोटोग्राफ सहित मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रावि०) को उपलब्ध कराये।
3. कार्यशालाओं में बेहतर लाइट के लिए एलईडी वर्क लाइन सिस्टम स्थापित किया जाये। क्षेत्रीय प्रबन्धक यह व्यवस्था एक माह के अन्दर सुनिश्चित करें।
4. कार्यशाला के कक्ष व शौख में लाइट पर्याप्त प्रकाश एवं वेन्टीलेशन की व्यवस्था सेवा प्रबन्धक, शीघ्रातिशीघ्र करना सुनिश्चित करें।
5. कार्यशाला में खड़ी कन्डम बसों एवं कारों को अक्टूबर, 2019 के अन्त तक नीलाम करने की व्यवस्था प्रधान प्रबन्धक(प्रावि०) सुनिश्चित करें।
6. कार्यशालाओं में तैनात आउटसोर्सिंग के कार्मिकों का भुगतान अत्यन्त विलम्बित हो रहा है। समस्त सेवा प्रबन्धक महीने की 10 तारीख तक भुगतान का विवरण मुख्यालय प्रेषित करेंगे तथा माह की 20 तारीख तक मुख्यालय परीक्षण कर भुगतान अवमुक्त करेगा तथा माह की 25 तारीख तक पेमेन्ट आर.टी.जी.एस. के माध्यम से देय कार्मिकों को खाते में पहुँच जाना चाहिए। इस कार्य को तत्परता से सुनिश्चित किया जाये।

सभी अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही करेंगे तथा निर्देशों का समय से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(डा० राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि-

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक/ अपर प्रबन्ध निदेशक निगम मुख्यालय लखनऊ को सूचनार्थ।
2. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रावि०/संचा०), निगम मुख्यालय लखनऊ, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्रधान प्रबन्धक(प्रावि०) निगम मुख्यालय लखनऊ, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. प्रधान प्रबन्धक(पीआईडीएम), निगम मुख्यालय लखनऊ, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त, नोडल अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।

(डा० राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक